सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन बंद होना सुनिश्चित करें : सीएस

उल्लंघन करने वाले सभी विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा उद्योग विभाग सबसे पहले इन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों का उत्पादन बंद करना सुनिश्चित करें, तभी इनके उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि उल्लंघन करने वाले सभी विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्य सचिव राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को अमल में लाने के लिए अभियान चलाया जाए और आम जन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

- **'सख्ती के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि लोग इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक हों तथा स्वतः प्रेरणा से इसका इस्तेमाल बंद करें'**

उन्होंने कहा कि लोगों को इस अभियान से जोड़कर ही इसे पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि पर्यावरण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल तथा उद्योग विभाग आपसी समन्वय से इस प्रतिबंध को सफलता से लागू करें। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए सख्ती के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि लोग इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक हों तथा स्वतः प्रेरणा से इसका इस्तेमाल बंद करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद ही प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग बढ़ावा मिलेगा तथा और भी बेहतर विकल्प सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से स्टार्टअप्स इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वन विभाग सचिव बी प्रवीण ने प्रतिबंध लागू करने के लिए कार्ययोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट सैल का गठन भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माताओं, विक्रेताओं और स्टॉक धारियों की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नम्बर की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के निपटान तथा दूसरे राज्यों से प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट के आवागमन पर रोक के लिए तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिये आम-जन को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, रीको, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, गृह विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग से अधिकारियों को प्रतिबंधित वस्तुओं को जब्त करने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है और वसूल की जा सकने वाली जुर्माना राशि भी तय कर दी गयी है।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, रीको, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, गृह विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों ने वीसी के जरिये भाग लिया।

सोमवार से फिर मंत्री करेंगे पीसीसी में जनसुनवाई

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बार फिर से जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू होगा। राज्यसभा चुनाव के चलते कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की वजह से सभी मंत्री भी बाड़ाबंदी में चले गए थे। राज्यसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के चलते के विरोध कार्यक्रम में करीब 10 दिन तक राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली में आना-जाना रहा था। इस कारण से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। अब करीब 5 सप्ताह के बाद एक बार फिर जनसुनवाई शुरू होगी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 4 जुलाई से मंत्रिमण्डल के सदस्यों की ओर से सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जनसुनवाई की जायेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जनसुनवाई में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों एवं अभ्यावेदनों का रिकॉर्ड रखा जायेगा तथा प्रकरणों के निस्तारण की जानकारी मंत्रीगणों से प्राप्त की जायेगी।

जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत 4 जुलाई को राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं ऊर्जा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी की ओर से जनसुनवाई की जायेगी।

वेदों से प्रेरणा लेकर जीवन को समृद्ध किया जा सकता है : मिश्र

राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृत अकादमी की ओर से तैयार वैदिक पोस्टर्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के शिक्षा एवं कला, संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला भी मौजूद थे।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को राजभवन में राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा तैयार वैदिक सूक्त आधारित सात पोस्टर्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेद की भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर जीवन को समृद्ध और संपन्न किया जा सकता है। उन्होंने वेद में आए विचारों को पोस्टर्स के जरिए जन-जन तक पहुंचाने का भी आव्हान किया।

प्रदेश के शिक्षा एवं कला-संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने राज्यपाल मिश्र को बताया कि वैदिक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और वैदिक ज्ञान के आमजन में प्रचार-प्रसार हेतु राजस्थान संस्कृत अकादमी और राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा चारों वेदों की जनोपयोगी वैदिक सूक्ति आधारित 7 पोस्टर्स तैयार किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन पोस्टर्स में अथर्ववेद आधारित सूक्ति 'धरती हमारी मां है, हम उसके पुत्र हैं, भूमि सत्य पर टिकी है', सामवेद के 'तुम स्वराज्य का सम्मान करो', ऋग्वेद के 'जुआ मत खेलो, खेती करो', 'वेद ज्ञान भारत की रक्षा करता है' के साथ अथर्ववेद की पर्यावरण संबंधी एवं यजुर्वेद की 'मीठी वाणी बोलने' संबंधी सूक्तियां चित्रों के साथ प्रकाशित की गयी है।

इससे पहले उन्होंने राज्यपाल मिश्र को संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित साहित्य प्रदान कर, पुष्प तथा सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

डी.बी. गुप्ता ने की राज्यपाल से मुलाकात

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र से शुक्रवार को राजभवन में मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल मिश्र को सूचना आयोग द्वारा जनहित में त्वरित किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।

राज्यपाल मिश्र ने सूचना आयोग द्वारा लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे, विशिष्ट कैम्प लगाकर आम जन को राहत प्रदान करने के निर्णयों की सराहना की। राज्यपाल मिश्र को मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी.गुप्ता ने बताया कि राज्य सूचना आयोग द्वारा विशिष्ट अदालत शिविरों में सूचना से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कोर्ट लगाने के साथ राज्य सूचना आयोग ने न्यायालय संबंधी डाक जैसे नोटिस, समन और निर्णय आदि संबंधित व्यक्ति को स्पीड पोस्ट से भिजवाने की भी पहल की है। उन्होंने बताया कि जन हित में आयोग परिसर में विशिष्ट अदालत शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई शुक्रवार को

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में 89 नए संक्रमित मिले, इससे पहले गुरूवार को 112 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट आई है। इस दौरान 89 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि इस बीच राज्य में इस बीमारी से एक और मरीज की मौत हो गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन रिकवरी में सुधार होने से एक्टिव केस घटकर 920 रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 9 जिलों में 89 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरूवार को 112 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में आज 43 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 16, बीकानेर में 11, अजमेर में 7, उदयपुर में 4, अलवर में 3 चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में 2-2 और नागौर में 1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 24 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। राज्य में जून के महीने 2677 संक्रमित मिले। वहीं 8 लोगों की मौत हुई है।

- **जयपुर में सर्वाधिक 43 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है।**
- **प्रदेश में जून के महीने 2677 संक्रमित मिले जबकि 8 लोगों की मौत हुई है।**

प्रदेश में शुक्रवार को भी नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान 98 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 920 रह गए हैं। हालाकि इनमें सबसे ज्यादा 391 मामले जयपुर में है। उधर प्रदेश में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी करोना से मौत का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान जयपुर में इस बीमारी से एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि राज्य में अब तक करोना से 9566 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में सबसे ज्यादा 7-7 नए संक्रमित जगतपुरा व वैशाली नगर में मिले हैं। इसके अलावा मानसरोवर में 4, सी-स्कीम, शास्त्री नगर व सोड़ाला में 3-3, दुर्गापुरा, झालाना डूंगरी व मालवीय नगर में 2-2 तथा अजमेर रोड, गलता गेट, जवाहर नगर, कानोता, खातीपुरा, प्रताप नगर, सिरसी रोड़, टोंक रोड़ और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 1 मरीजों का एड्रेस गलत मिलने पर उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। इस बीच जिले में केवल 48 रोगी ठीक हुए हैं।

डॉ. मोहनराव भागवत दो जुलाई से राजस्थान प्रवास पर

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत 2 जुलाई से 10 जुलाई तक राजस्थान के प्रवास पर रहेंगे।

उत्तर-पश्चिम (राजस्थान) क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश ने बताया कि डॉ. भागवत का 2 जुलाई को प्रातः 10:40 बजे जयपुर आगमन होगा। दोपहर तक वे भारती भवन में ठहरेंगे, इसी दिन दोपहर 2:30 बजे चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे और चूरू में रात्रि विश्राम करेंगे। 3 जुलाई को प्रातः 9 बजे चूरू से रतनगढ़ पहुंचेंगे और प्रातः 10 से 12 बजे तक रतनगढ़ गोलच्छा ज्ञान मंदिर में तेरापंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से वार्ता करेंगे। इसी प्रकार दोपहर 12 बजे रतनगढ़ से चूरू के लिए प्रस्थान कर चूरू में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 04 से 10 जुलाई तक झुंझुनू में रहेंगे और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। प्रांत प्रचारक मुख्य बैठक 7 से 9 जुलाई तक रहेगी।

एलआईसी 15 जुलाई तक कर सकता है आईईवी का निर्धारण

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय अन्तर्निहित मूल्य (आईईवी) का निर्धारण 15 जुलाई तक कर सकता है। निगम द्वारा 30 मार्च को जारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूर्व में इसका निर्धारण 31 मार्च तक किया जाना था लेकिन प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ और समय लग सकता है। एक बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद और अपेक्षित अनुमोदन के बाद इस संबंध में निगम द्वारा आवश्यक सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाएगा।

खोया पाया

31/435 प्रताप नगर जयपुर के मूल कागजात (आवंटन पत्र, 7 days लेटर) गुम गये। मिलने पर सम्पर्क- प्रशान्त ओझा 9057574732

NAME CHANGE

We, Mr Pawan Kumar Swami and Mrs Priyanka omprakash vaishnav R/O of G-24A, saraswati nagar, behind gold souk gator road, Jaipur have changed our minor son's name from Shivansh Swami to Madhav Sharma for all future purposes

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 494 ठाकुर पंचवर का रास्ता, चौकडी घाट दरवाजा जयपुर की गाउण्ड फ्लोर में एक साल दक्षिण-मुखी स्व.श्री मोहम्मद यासीन पुत्र अब्दुल अजीज ने रामेश्वर शर्मा पुत्र रामभजन शर्मा से किराये पर ले रखी है। स्व.श्री मोहम्मद यासीन के जीवन काल से ही उसके वारिसान काबिज है। श्री रामेश्वर शर्मा का देहान्त हो गया है। उनका विधिक वारीस किराया प्राप्त कर रसीद दे देवें।
जयपुर (मकबूल हुसैन) एडवोकेट
दिांक-29/6/2022 मो.-9828071475

आम सूचना मैं रमेश सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह वर्तमान निवासी प्लाट नं.B1D शेखावत कॉलोनी-B मीनावाला सिरसी रोड जयपुर स्थायी पता गांव रावता की ढाणी पोस्ट गोलवा, महेन्द्रगढ हरियाणा 123023 का हू यह कि मेरी पुत्री कुमारी रुखी जोकि हमारे कहने में नहीं है एवं स्वयं की मर्जी से किसी विशाल तिवारी उर्फ बिट्टू से शादी करली है। इस कारण मैं अपनी पुत्री से सारे सम्बन्ध समाप्त करते हुए इसे अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हू। इसके बावजूद भी यदि कोई भी व्यक्ति संस्था मेरी पुत्री के साथ कोई लेनदेन, संव्यवहार करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
रमेश सिंह, निवासी प्लाट नं.B1D शेखावत कॉलोनी-B मीनावाला सिरसी रोड जयपुर, मो. 9079003883

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
EMail Id:dhcjpr2.rhb @ rajasthan.gov.in.Phone No.0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/1036 दिनांक-30.6.22
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 84/ 193, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 166.95 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री विजय शंकर श्रीवास्तव पुत्र श्री रमा शंकर श्रीवास्तव को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3955 दिनांक 30.3.1995 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 26.09.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3612 दिनांक 14.12.1996 के द्वारा श्री विजय शंकर श्रीवास्तव पुत्र श्री रमा शंकर श्रीवास्तव के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात श्री विजय शंकर श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 19.03.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र ने श्री श्वेतांक श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री विजय शंकर श्रीवास्तव ने वसीयतनामा के आधार पर मृत्यु पश्चात नाम स्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री श्वेतांक श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री विजय शंकर श्रीवास्तव के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/ आवेदक श्री श्वेतांक श्रीवास्तव पुत्र स्व.श्री विजय शंकर श्रीवास्तव के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 1/91 मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 137.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री नरेन्द्र कुमार बांगा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3226 दिनांक 10/04/1981 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 20.02.1995 को करवाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार बांगा की मृत्यु दिनांक 27.10.2007 को हो जाने के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती कांता बांगा पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार बांगा के द्वारा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तांतरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती कांता बांगा पत्नी स्व. श्री नरेन्द्र कुमार बांगा पक्ष में उक्त आवास के हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 1/1219 मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 44.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री भगवान दास को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 12620 दिनांक 8.7.1982 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 27.9.1982 को प्राप्त कर लिया गया था। श्री भगवान दास की मृत्यु दिनांक 21.4.2008 को हो जाने के पश्चात् श्रीमती लाजवन्ती मेहरचन्दानी पत्नी स्व.श्री भगवान दास मेहरचन्दानी के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती लाजवन्ती मेहरचन्दानी पत्नी स्व.श्री भगवान दास मेहरचन्दानी पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या-6/H/417 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, क्षेत्रफल 242.76 वर्ग मीटर का आवंटन श्री रमेश पुत्र श्री कल्याण सहाय एवं श्रीमती गोमा देवी पत्नी श्री कल्याण सहाय, जाति मीणा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 10699 दिनांक 30.9.2013 जारी किया गया था।उनके द्वारा विकसित भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर- चतुर्थ में दिनांक 7.10.2013 को करवाया गया। श्री रमेश पुत्र श्री कल्याण सहाय एवं श्रीमती गोमा देवी पत्नी श्री कल्याण सहाय, जाति मीणा के द्वारा उक्त विकसित भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री प्रदीप कुमार कौडल पुत्र श्री सत्यागर सिंह को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 7.10.2013 को करवाया गया तत्पश्चात श्री प्रदीप कुमार कौडल पुत्र श्री सत्यागर सिंह के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 18.10.2013 को उक्त आवास का मुख्त्यारनामा आम 1. श्री अमित जिन्दोलिया 2. श्री नितिन जिन्दोलिया पुत्रान् श्री कुलदीप जिन्दोलिया को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् मुख्त्यारनामा आम धारक श्री अमित जिन्दोलिया एवं श्री नितिन जिन्दोलिया पुत्रान् श्री कुलदीप जिन्दोलिया के द्वारा उक्त विकसित भूखण्ड का बेचान स्वयं श्री अमित जिन्दोलिया एवं श्री नितिन जिन्दोलिया पुत्रान् श्री कुलदीप जिन्दोलिया को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 14.11.2013 को करवाया गया। श्री अमित जिन्दोलिया एवं श्री नितिन जिन्दोलिया पुत्रान् श्री कुलदीप जिन्दोलिया के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त विकसित भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री अमित जिन्दोलिया एवं श्री नितिन जिन्दोलिया पुत्रान् श्री कुलदीप जिन्दोलिया के पक्ष में उक्त विकसित भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 5/254 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 67.500 वर्ग मीटर का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 2499 दिनांक 29.9.2002 श्री अनुराधा सेतिया पत्नी स्व. श्री गुलशन सेतिया के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 29.9.2002 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती अनुराधा सेतिया की मृत्यु दिनांक 25.2.2015 को हो जाने के पश्चात श्रीमती स्वाति सेतिया पुत्री स्व. श्री गुलशन सेतिया के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र हक त्याग पत्र (रजिस्टर्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तांतरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तांतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती स्वाति सेतिया पुत्री स्व. श्री गुलशन सेतिया पक्ष में उक्त आवास के हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 1/350 मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री बलभद्र कुमार जैन पुत्र श्री उत्तम चन्द जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2120 दिनांक 10.03.1981 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 18.06.1993 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बलभद्र कुमार जैन पुत्र श्री उत्तम चन्द जैन के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री नरेन्द्र कुमार बांगा पुत्र श्री तिलक राज बांगा को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 13.02.2002को करवाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार बांगा की मृत्यु दिनांक 27.10.2007 को हो जाने के पश्चात् श्रीमती कान्ता बांगा पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र कुमार बांगा के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती कान्ता बांगा पत्नी स्व.श्री नरेन्द्र कुमार बांगा पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4-ग-15 जवाहर नगर जयपुर क्षेत्रफल 260.00 वर्ग गज का आवंटन श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 14476 दिनांक 17.10.1975 एवं आवंटन पत्र क्रमांक 1843 दिनांक 25.11.1976 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों को निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 6.5.2008को करवाया गया। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्रीमती दयाली बाई गेरा पत्नी स्व.श्री सांइदास गेरा एवं श्री अमित गेरा पुत्र श्री हाकिम चन्द गेरा को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 25.5.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती दयाली बाई गेरा पत्नी स्व.श्री सांइदास गेरा एवं श्री अमित गेरा पुत्र श्री हाकिम चन्द गेरा के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री जयपाल दास राजपाल पुत्र स्व.श्री लक्ष्मण दास राजपाल को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 30.11.2017 को करवाया गया। श्री जयपाल दास राजपाल की मृत्यु दिनांक 3.12.2020 को हो जाने के पश्चात् श्री गणेश राजपाल पुत्र स्व.श्री जयपाल दास राजपाल के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री गणेश राजपाल पुत्र स्व.श्री जयपाल दास राजपाल पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश मेहरचंद, प्रमोद, संदीप कुमार, सत्येन्द्र कुमार, महिपाल, नरेन्द्र कुमार और सतवीर की जमानत याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें मौजूदा अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दी जाए। इस पर अदालत ने आरोपियों को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देते हुए अर्जियों को खारिज कर दिया है।

इस दौरान राज्य के एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले ही उसके पेपर आउट कर उन्हें बड़ी धनराशि में अन्य लोगों को बेचान किया है। आरोपियों ने परीक्षा से पहले पेपर आउट करने का गंभीर अपराध किया है। इसलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि चिड़ावा की स्पेशल पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर परीक्षा से पहले ही बेचे जा रहे हैं और महिपाल व प्रमोद पूनिया के पास पेपर हैं।

जन्मदिन पर राज्यपाल को राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने बधाई दी

जयपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने व्यक्तिशः फोन पर दी अपनी बधाई और शुभकामना में मिश्र के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी बताते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए मंगलकामना की है। राज्यपाल मिश्र के जन्मदिन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी व्यक्तिशः फोन कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्हें प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता आदि और भी बहुत से लोगों ने बधाई दी।

पीएचईडी पर लगाया 16 हजार रुपए हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने पानी के चालू मीटर को बंद बताकर ज्यादा राशि का बिल जारी करने को सेवा दोष करार देते हुए पीएचईडी विभाग पर 16 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

वहीं पीएचईडी को निर्देश दिया है कि वह नवंबर 2021 से जनवरी 2022 के बिल की राशि 352 रुपए व अंडर प्रोटेस्ट जमा करवाई राशि 1766 रुपए को परिवादी के आगामी बिलों में समायोजित करें और मीटर रीडिंग लेने वाले व बिल बनाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह व सदस्य सीमा शार्दुल ने यह आदेश जवाहर नगर निवासी अनुज माथुर के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा कि उसने विभाग से पानी का कनेक्शन ले रखा है, लेकिन विभाग बिल जारी करने में लगातार अनियमितताएं बरत रहा है। मीटर रीडर ने मीटर को नोट वर्किंग दिखाया है, जबकि वह चालू है। इसके अलावा एक बिल में मीटर को अघरेलू श्रेणी में दर्शा रखा है, जबकि वह घरेलू श्रेणी में आता है। परिवादी ने विभाग के अफसरों से संपर्क कर उन्हें अनियमितता की जानकारी दी, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा कनेक्शन कटने की धमकी के कारण उसे अंडर प्रोटेस्ट ज्यादा बिल राशि जमा करवानी पड़ी।

रवि वासवानी ने शिवसेना का दामन थामा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान शिवसेना ने रवि वासवानी युवा नेता के नेतृत्व में सैंकड़ों युवाओं को राजापार्क सोडाला के युवाओं के साथ शिवसेना की सदस्यता देकर शिवसेना में जोड़ा गया और उज्ज्वल मंगलमय जीवन की मंगलकामना की।

राज्य प्रमुख ललित सक्सेना ने बताया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुए धोखे के बाद अब शिवसेना राजस्थान में जमीनी स्तर पर कार्य करेगी और शिवसेना को राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करेगी। रवि वासवानी को जल्द ही जयपुर में जिला कार्यकारिणी के लिए मनोनीत किया जाएगा। रवि वासवानी जागरूक होकर युवाओं के साथ एकजुट होकर शिवसेना को समर्पित रहेंगे।

'नरेन्द्र मोदी जन-कल्याणकारी नीतियों से विजय संकल्प तेलंगाना-2023 को पूरा करेंगे'

जयपुर। भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आज तेलंगाना सम्पर्क अभियान के तहत करीमनगर विधानसभा क्षेत्र के मंडल, मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संवाद किया।

डॉ. पूनिया ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 8 वर्ष की जनकल्याणकारी उपलब्धियों, भाजपा के तेलंगाना मिशन 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 के विजय संकल्प, संगठनात्मक संरचना तथा जनहित सहित तेलंगाना सरकार के विरूद्ध इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर रणनीति पर चर्चा की।

- **डॉ. सतीश पूनिया ने करीमनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से किया संवाद**

उन्होंने कहा कि करीमनगर सहित पूरे तेलंगाना में भाजपा के राष्ट्रवाद के विचार की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है, साथ ही नरेन्द्र मोदी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से यहां की जनता खुश है और केन्द्र की योजनाओं का सीधा लाभ गांव-गरीब के घर तक पहुंच रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया के तेलंगाना दौरे के दौरान उमड़े लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं केन्द्र की जनहितैषी नीतियों से तेलंगाना विजय संकल्प 2023 को पूरा करेंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 विजय संकल्प को प्रचण्ड बहुमत के साथ फिर से हासिल कर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी।

डॉ. पूनिया 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रदेश भाजपा इकाई के संगठनात्मक कार्य व आगामी कार्यों का प्रस्तुतिकरण देंगे।